



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

फैक्स नं०-05964-238724

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

पत्रांक- 901 / 13 सी०

दिनांक 7/6 -2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वनप्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- नारायण आश्रम से रूंग-सिर्खा मोटर मार्ग निर्माण (प्रस्ताव संख्या 14200/2015) में लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- वन संरक्षक, उत्तरी कुमायूँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा का पत्रांक 1635/12-1 अल्मोड़ा दिनांक 26-10-2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

1	The title is misleading as the proposal is for a road from Sosa-Sirkha motor road Rung and does not connect Narayan Ashram. Kindly upload amended proposal accordingly.	मोटर मार्ग के नाम परिवर्तन की स्वीकृति शा०सं० 2520/111(2)10-64(प्रा०आ०)/2016 दिनांक 10-10-2016 द्वारा प्राप्त हो चुकी है जिसके द्वारा मोटर मार्ग का नाम जनपद पिथौरागढ़ में रूंग-सिर्खा मोटर मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है (शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है) प्रस्ताव पुनरीक्षित कर रूंग सिर्खा मोटर मार्ग के अनुसार 3.000 किमी० लम्बाई में गठित कर ऑनलाईन किया जा चुका है।
---	---	---

अतः उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सेवा में प्रेषित।

(इं ए०बी० काण्डपाल)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
अस्कोट (पिथौरागढ़)

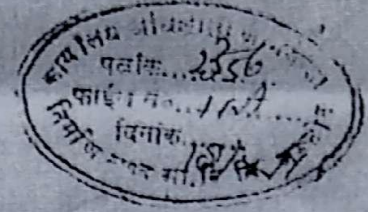
संख्या-2529/111(2)/18-64(प्रोआओ)/2016

प्रेमक,

अरविन्द सिंह हुरीकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।



लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 18 अक्टूबर, 2016

विषय- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत विभिन्न मोटर मार्गों का नाम परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मुख्यालय), लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक 15/24(3)याता0क/2016 दिनांक 14.03.2016, पत्रांक 106/24(3)याता0क/2016 दिनांक 05.03.2016 एवं मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ के पत्रांक 1057/04याता-पि0क्षे0/2016 दिनांक 21.09.2016 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपशान्त गुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के कॉलम- II में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा कॉलम- III में अधिस्त मोटर मार्गों का नाम परिवर्तित कर तालिका के कॉलम- IV के अनुसार किये जाने की माननीय श्री राजपाल राहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सि0	शासनादेश संख्या/दिनांक	पूर्व स्वीकृत मोटर मार्ग का नाम	मोटर मार्ग का परिवर्तित नाम
I	II	III	IV
1	शासनादेश संख्या-1754/III(2)/05-04(प्रोआओ)/2005 दिनांक 10.11.2005	जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत नारायण आश्रम-रूंग-शिखा मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई- 7.00 किमी0 स्वीकृत लागत-₹100.80 लाख	जनपद पिथौरागढ़ में रूंग-शिखा मोटर मार्ग का निर्माण।
2	शासनादेश संख्या-1440/III(2)/11-05(प्रोआओ)/2010 दिनांक 28.03.2011	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड मुनरयासी में, थल मुनरयासी मोटर मार्ग के किमी0 194 से रुड़सपट्टा तक मोटर मार्ग एवं एक सेतु का निर्माण लम्बाई-3.00 किमी0+01 सेतु स्वीकृत लागत- ₹37.80 लाख	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत विकासखण्ड मुनरयासी में थल मुनरयासी मोटर मार्ग के फुली नामक स्थान से रुड़सपट्टा तक मोटर मार्ग एवं एक सेतु का निर्माण
	शासनादेश संख्या-2724/III(2)/15-05(मु0मि0वि0)/2015 दिनांक 24.04.2015	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड मुनरयासी में रामनीच तक सड़क का निर्माण कार्य। लम्बाई- 2.00 किमी0+01 सेतु स्वीकृत लागत- ₹18.18 लाख	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला के विकासखण्ड मुनरयासी में रामनीच तक सड़क का निर्माण कार्य।

AE (प्रो/जे0)

18/10/16

प्रभारी/मा0

Gopurth
21/10/16

- 2- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों के संलग्नकों के नियत कामों पर अंकित उक्त मोटर मार्गों का मात्र उक्तानुसार नाम परिवर्तित किया गया है, इन मार्गों की लम्बाई तथा लागत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 10.11.2003, 28.03.2011 एवं 24.04.2015 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 3- उक्त सन्दर्भित शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हर्षाकी)
प्रभारी राधिव

संख्या 520(1)/111(2)/16-64(प्रत0आ0)/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओवरराय मोटर्स बिल्डिंग, भाजरा देहरादून।
2. आयुक्त, कुमायू गण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
4. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. पिता अनुगाम-2/मुख्यामन्त्री घोषणा अनुगाम-4, उत्तराखण्ड शासन।
8. सन्दर्भित अधीक्षण/अभिज्ञानी अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(ए0एस0 पांगती)
उप राधिव